न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः–74/2019 (GCMS No. 2019/00077) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. मथुरा देवी पत्नि सरदार उम्र 40 साल
2. कविता पुत्र सरदार उम्र 21 साल
3. सविता पुत्री सरदार उम्र 20 साल
4. अखलेश पुत्र सरदार उम्र 19 साल
5. कप्तान पुत्र सरदार उम्र 16 साल
6. पप्पु पुत्र सरदार उम्र 10 साल

सतस्त जातियान गुर्जर निवासियान ग्राम कुनकटा खुर्द तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

जरिये नाबालिग संरक्षक माता मथुरा देवी पत्नि स्व. सरदार

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. रूमाली पत्नि रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी कुनकटा खुर्द तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी।

.....रैस्पोडैन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 04.07.2012 अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर प्रकरण संख्या 820/2010 उनवानी सरदार बनाम लेण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर बावत् नामांतरकरण संख्या 146 दिनांक 05.11.2009

उपस्थितिः–

1. श्री इंसाफ अली, वकील अपीलान्ट

निर्णय दिनांक : 26.06.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 04.07.2012 एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के नामांतरकरण आदेश दिनांक 05.11.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि आराजी ख.नं. 19 रकवा 9.10 हैक्टे. ग्राम कुनकटाखुर्द तहसील गंगापुर सिटी स्थित आराजी के 1/8 हिस्से पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है तथा समस्त आराजी में अपीलान्ट 1/2 का खातेदार हैं। मगर रामप्यारी जो अपीलान्ट की प्राकृतिक बहिन है, अपने ससुराल में रहती है जिसका उक्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा। अपीलान्ट ही समस्त आराजी पर काबिज काश्त है, फिर भी रामप्यारी ने हिस्सा 1/8 की रजिस्ट्री रूमली पत्नि रामेश्वर रेस्पो. सं. 1 के हक में कर दी। पटवारी हल्का व तहसीलदार ने मनमाने तौर पर उक्त आराजी पर ए.डी.जे. कोर्ट व राजस्व मण्डल दोनों का स्थगन होते हुये नामांतरकरण संख्या 146 दिनांक 05.11.2009 भरकर तस्दीक कर दिया गया। जिसकी अपील अपीलान्ट ने दिनांक 06.05.2010 को ए.डी.एम. सवाई माधोपुर को की। ए.डी.एम. सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 04.07.2012 को अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर दी गई। जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडैन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित। बहस अपीलान्ट सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्धान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी ख.नं. 19 रकवा 9.10 हैक्टे. वांके ग्राम कुनकटा खुर्द पर पूर्व में व आज भी अपीलान्ट का कब्जा काश्त है। रामप्यारी व रेस्पो. सं. 1 का उक्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। मौका रिपोर्ट दिनांक से स्पष्ट साबित है कि कब्जा आज भी अपीलान्ट का है। मात्र रजिस्ट्री में कब्जा सम्भलाने का तथ्य लिखने से नामांतरकरण खोला है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो. का कब्जा नहीं होते हुये भी बिना कब्जा की जॉच किये नामांतरकरण विधि विरूद्ध तस्दीक किया है। रामप्यारी वर्षों से ससुराल में रहती है। जिसका आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा, न ही रेस्पो. सं. 1 का कभी कब्जा रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट के कब्जे की जॉच नहीं की न ही उसको नोटिस दिया व सुनवाई का अवसर दिया। सी.पी.सी. के प्रावधानों की कोई पालना नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य नामांतरकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार न होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि की पूर्ण अवहेलना कर मनमाने तौर पर आलोच्य नामांतरकरण खोला है जबकि विवादित आराजी पर दौराने नामांतरकरण तस्दीक माननीय ए.डी.जे. कोर्ट गंगापुर सिटी व राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन आदेश था जिसका नोट उक्त नामांतरकरण पर लगा हुआ है। अधीनसथ न्यायालय का उक्त दोनों कोर्टों में दावा विचाराधीन होने व स्थगन की पूर्ण जानकारी थी फिर भी नामांतरकरण तस्दीक कर विधि की सरेआम धज्जियॉ उडाई है। अतः अपील

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अदालत हरदो निरस्त फरमाया जावे एवं नामांतरकरण संख्या 146 दिनांक 05.11.2009 निरस्त फरमाया जावे।

4. बहस अपीलान्ट पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 146 बावत् विवादित आराजी ख.नं. 19 रकबा 9.10 हैक्टे. वांके ग्राम कुनकटा खुर्द तहसील गंगापुर सिटी रेस्पो. सं. 1 के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 31.07.2007 को भरा गया, जो दिनांक 05.11.2009 को तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा तस्दीक किया गया। अपीलान्ट का मुख्य तर्क है कि विवादित आराजी पर माननीय सिविल न्यायालय तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का स्थगन होने के कारण विधि विरूद्ध रूप से नामांतरकरण स्वीकृत किया है। इस संबंध में आलौच्य नामांतरकरण का अवलोकन किया गया जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि माननीय सिविल न्यायालय गंगापुरसिटी न्यायालय में विचाराधीन मामले का निर्णय दिनांक 24.10.2009 को होने से स्थगन नहीं रहा है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन निगरानी में आदेशिका दिनांक 05.12.2007 एवं 26.02.2008 में नियत दिनांक 17.03.2008 तक स्थगन बढाया है। इसके बाद स्थगन बढाना अंकित नहीं है। न्यायालय हाजा के मत में उक्त नामांतरकरण के समय स्थगन प्रभावी नहीं था। अपीलान्ट द्वारा भी न तो अधीनस्थ न्यायालय में और न ही न्यायालय हाजा में ऐसा कोई विधिक दस्तावेज पेश किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आलौच्य नामांतरकरण स्वीकृति के समय विवादित आराजी पर स्थगन प्रभावी हो। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। तद्नुसार अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

5. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2012 एवं नामांतरकरण संख्या 146 दिनांक 05.11.2009 को यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 26.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/06/2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर